भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2755
जिसका उत्तर बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय की पीठों की स्थापना

+2755. श्री रामचरण बोहरा :

श्री गोपालजी ठाकुर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना के लिए क्या मानदंड या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ;

(ख) उच्च न्यायालय पीठों और उनके अधिकार क्षेत्र का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्यों से पृथक् उच्च न्यायालय और पीठों की स्थापना हेतु प्राप्त निवेदनों का बिहार में दरभंगा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) उक्त की स्थापना में आ रही बाधाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है तथा इसमें विलंब के क्या कारण है ; और

(ङ) राज्यों में पृथक् उच्च न्यायालयों/पीठों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ङ.) : जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और रिट याचिका (सिविल) सं. 2000 की 379 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुसरण में उच्च न्यायालय की न्यायपीठें राज्य सरकार के संपूर्ण प्रस्ताव, जिसे अवसंरचना सुविधाओं और आवश्यक व्ययों का उपबंध करना है, और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के दिन प्रतिदिन के प्रशासन की देखरेख करना अपेक्षित है, पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् स्थापित की जाती हैं। प्रस्ताव पर संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए।

उच् च न् यायाल यों की प्रधानपीठ के साथ उनके क्षेत्राधिकार और उच् च न् यायालयों की न् यायपीठों को दर्शित करने वाला राज् यवार एक विवरण **उपाबंध -1** पर है । उच् च न् यायालय की न् यायपीठों को देश के विभिन् न भागों में स् थापित करने के अनुरोध अन् य स्रोतों जिसमें कुछ राज् य सरकारें भी हैं , से समय समय पर प्राप् त हुए हैं । तथापि , वर्तमान में किसी राज् य सरकार से जिसके अंतर्गत बिहार राज् य का दरभंगा में पटना उच् च न् यायालय की न् यायपीठ की स्थापना के लिए प्रस्ताव भी है , कोई संपूर्ण प्रस् ताव केन् द्रीय सरकार के पास विचार के लिए लंबित नहीं है। विभिन् न

राज् यों से प्राप् त अनुरोधों और उनकी प्रास् थिति को दर्शित करने वाला एक विवरण **उपाबंध -2** पर है ।

हरियाणा सरकार , चंडीगढ़ में राज् य के लिए एक पृथक् उच् च न् यायालय की स् थापना के लिए अनुरोध करती रही है । पंजाब सरकार का इस विषय में भिन् न दृष् टिकोण है । राज् य सरकारों के बीच सर्वसम्मति के अभाव में कोई अंतिम विनिश् चय नहीं लिया गया है ।

****

उपाबंध -1

लोकसभा अतारांकित प्रश् न सं . 2755 जिसका उत् तर 10.07.19 को दिया जाना है के भाग (क) से (ड.) के उत् तर में उच् च न् यायालय यों और उसकी न् यायपीठों को दर्शित करने वाला राज् य/संघ राज् यक्षेत्र वार विवरण ।

क्र .सं .	**उच् च न् यायालय (राज् य)**	**प्रधानपीठ**	**क्षेत्राधिकार**	**स् थायी न् यायपीठ और तारीख जिससे वह कार्य प्रारंभ कर रही है**
1.	इलाहाबाद (उत् तर प्रदेश)	इलाहाबाद	उत् तर प्रदेश	लखनऊ **(01.07.1948)**
2.	आंध्र प्रदेश	अमरावती	आंध्र प्रदेश	-
3.	तेलंगाना	हैदराबाद	तेलंगाना	-
4.	बाम् बे (महाराष् ट्र)	मुम् बई	महाराष् ट्र ;गोवा ; दमण और दीव ; दादरा और नागर हवेली ;	नागपुर **(01.05.1960)** पणजी **(01.07.1948)** औरंगाबाद **(27.08.1984)**
5.	कलकत् ता (पश् चिमी बंगाल)	कोलकाता	पश् चिमी बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	(i) राष्ट्रपति आदेश तारीख 7 फरवरी, 2019 द्वारा जलपाईगुड़ी सर्किट न्यायपीठ (ii) पोर्ट ब्लेयर सर्किट न्यायपीठ
6.	छत् तीसगढ़	बिलासपुर	छत् तीसगढ़	-
7.	दिल् ली (राष् ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल् ली)	नई दिल् ली	राष् ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल् ली	-
8.	गुवाहाटी (असम)	गुवाहाटी	असम, नागालैंड , मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश	कोहिमा **(10.02.90)** आइजोल **(05.07.90)** ईटानगर **(12.08.2000)**
9.	गुजरात	सोला (अहमदाबाद)	गुजरात	-
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	हिमाचल प्रदेश	-
11.	जम् मू -कश् मीर	जम् मू और श्रीनगर	जम् मू -कश् मीर	-
12.	झारखंड	रांची	झारखंड	-
13.	कर्नाटक	बैंगलोर	कर्नाटक	धारवाड़ **(24.08.2013)** गुलबर्गा **(31.08.2013)**
14.	केरल	एर्नाकुलम (को च्चि)	केरल और लक्षद्वीप द्वीपसमूह	-

15.	मध् य प्रदेश	जबलपुर	मध् य प्रदेश	ग् वालियर **(01.11.1956)** इंदौर **(01.11.1956)**
16.	मद्रास (तमिलनाडु)	चैन् नई	तमिलनाडु और पांडिचेरी	मदुरै **(24.07.2004)**
17.	उड़ीसा	कटक	उड़ीसा	-
18.	पटना (बिहार)	पटना	बिहार	-
19.	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	पंजाब ,हरियाणा और चंडीगढ़	-
20.	राजस् थान	जोधपुर	राजस् थान	जयपुर **(31.01.1977)**
21.	सिक् किम	गंगटोक	सिक् किम	-
22.	उत् तराखंड	नैनीताल	उत् तराखंड	-
23.	मणिपुर	इंफाल	मणिपुर	-
24.	मेघालय	शिलांग	मेघालय	-
25.	त्रिपुरा	अगरतला	त्रिपुरा	-

****

उपाबंध -2

लोकसभा अतारांकित प्रश् न सं . 2755 जिसका उत् तर 10.07.19 को दिया जाना है के भाग (क) से (ड.) के उत् तर में उच् च न् यायालयों की न् यायपीठों की स् थापना के लिए प्राप् त प्रस् तावों /मांगों की सूची दर्शित करने वाला राज् यवार /संघ राज् यक्षेत्रवार विवरण ।

क्र .सं .	**उच् च न्यायालय /राज् य का नाम**	**स् थान जहां न् यायपीठ प्रस् तावित है**	**टिप् पणियां**
1.	उड़ीसा	उड़ीसा के पश् चिमी और दक्षिणी क्षेत्र	उड़ीसा राज् य द्वारा पश् चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में उड़ीसा उच् च न् यायालय की न् यायपीठ की स् थापना का प्रस् ताव 28.9.2013 को प्राप् त हुआ । राज् य सरकार द्वारा किए गए अनुरोध को उच् च न् यायालय को उस पर उनके विचार के लिए अक् टूबर , 2013 में अग्रेषित किया गया । उड़ीसा के मुख् यमंत्री को 12 जनवरी , 2019 के पत्र द्वारा उड़ीसा उच् च के मुख् य न् यायमूर्ति से परामर्श के पश् चात् प्रस् तावित न् यायपीठों के ब् यौ रों पर कार्य करने के लिए अनुरोध किया गया ।
2.	हरियाणा / पंजाब और हरियाणा	दक्षिणी /पश् चिमी हरियाणा	हरियाणा राज् य सरकार द्वारा पश् चिमी और दक्षिणी हरियाणा में पंजाब और हरियाणा उच् च न् यायालय की न् यायपीठ की

			स् थापना का प्रस् ताव 17.4.2015 को प्राप् त हुआ । राज् य सरकार द्वारा किए गए अनुरोध को उच् च न् यायालय को उस पर उनके विचार के लिए 25.05.2015 को अग्रेषित किया गया । पंजाब और हरियाणा उच् च न् यायालय के माननीय मुख् य न् यायमूर्ति ने 12 अक् तूबर , 2017 के पत्र द्वारा यह जानकारी दी कि उच् च न् यायालय के चार वरिष् ठतम न् यायाधीशों की समिति ने इस मुद्दे को परी क्षित किया और एक व् यापक रिपोर्ट प्रस् तुत की है । समिति ने यह सिफारिश किया है कि चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच् च न् यायालय की प्रधानपीठ उपयुक् त रूप से अवस् थित है और इस न् यायालय की पृथक् न् यायपीठ की स् थापना की को ई आवश् यकता नहीं है ।इस विचार का पंजाब और हरियाणा के मुख् य न् यायमूर्ति ने समर्थन किया है । यह 24 जनवरी , 2018 के पत्र द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री को सूचित कर दिया गया है।
3.	झारखंड	दुमका	राज् य सरकार द्वारा दुमका में झारखंड उच् च न् यायालय की

			न् यायपीठ की स् थापना का अनुरोध 12.2.2015 को प्राप् त हुआ और इसे झारखंड उच् च न् यायालय को उस पर विचार के लिए 17.7.2015 को अग्रेषित कर दिया गया । झारखंड उच् च न् यायालय के रजिस् ट्रार जनरल ने 4 अगस् त, 2015 के पत्र द्वारा सूचित किया कि माननीय मुख् य न् यायमूर्ति ने संप्रेक्षित किया कि निम् नलिखित कारणों से मामले को लंबित रखा जाए - 1. उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम है; और 2. सर्किट न्यायालय के आवासन के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। यह 11 अगस् त, 2015 के पत्र द्वारा झारखंड सरकार के विधि विभाग को सूचित कर दिया गया है ।

****